संख्या-10/2020/बी-2-70/दस-2020-1/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों की वित्तीय वर्ष 2019-20 में आडिट अनुशासन की **5 प्रतिशत धनराशि** की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या-8/2500/148/चतु0रा0वि0आ0/संस्तुतियॉ/2018, दिनांक 06 मार्च, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 8700.00 करोड के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु रोकी गयी **5%** धनराशि **रूपये 435.00 करोड (चार सौ पैतीस करोड मात्र)** निम्नानुसार नगरीय निकायों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि करोड रूपये में)

क्र. सं.	निकाय	निकायों की संख्या	आडिट अनुशासन की **5%** धनराशि
1.	नगर निगमों हेतु	17	174.00
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	174	174.00
3.	नगर पंचायतों हेतु	361	87.00
	योग	कुल निकाय 552	**435.00**

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या-55 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

क्रमशः-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निकायों को आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(4) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड में)
1.	नगर निगमों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	174.00
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	174.00
3.	नगर पंचायतों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	87.00
		योग	**435.00**

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2020 /बी-2-70(1)/दस-2020-1/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।